वाद सिटी से वाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर [illegible]
प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब [illegible]
दि. 8-4-21 को पेश हों

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

8-4-21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिगण उप। प्रतिवादी के बाद जारी सम्मन तामील का अवसर वादिगण को प्रदान। इसलिए दिनांक 15-4-21 को पेश हो।

15-4-21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिगण। प्रतिवादी तहसीलदार, सीमलवाड़ा की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पक्ष कार्यालय अतः पक्ष पिता बहस वकील वादीगण की सुनी गई। वादीगण ने अन्तर्गत धारा R.T. A.88 सह धारा 136(2) राज. टी. एक्ट 1956 के तहत वाद पेश की गई है।

वादीगण ने ग्राम सीमलवाड़ा के खसरा नम्बर 2814/2692 क्षेत्र बिघा 0.02 बिघा जमीन विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम सीमलवाड़ा के नामान्तरण वर्ष 2015-16 अपील संख्या 164 के आदेश दिनांक 29.12.2016 को निरस्त कर दिया गया है। वादीगण को आवंटित भूमि जमीन हदबस्त हो गई है। वादीगण को आवंटित भूमि का नामान्तरण करवाने हेतु पिता गंगाराम के नाम दर्ज कर वादीगण को आदेश करने का योग्य समझा जाता है।

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

अतः कार्यालय द्वारा प्रस्तुत पत्र हस्तांतरण योग्य होने से हस्तांतरण किया जाता है। साथ ही इस हस्तांतरण सीमा की औपचारिक विज्ञप्ति ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा 2814/2692 दिनांक 1 अक्टूबर 2021 दिवस में प्रकाशित की जाकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा संबंधित कराया कर्मी विज्ञप्ति जारी की। मार्गदर्शन के लिए मैं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है।

निर्देशानुसार पालना हेतु हस्तांतरण सीमलवाड़ा को प्रेषित करें। निर्देश मुताबिक कार्यवाही करने बाद कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा को अवगत करावें।

13/10/2021

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा